भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4029

जिसका उत्तर सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया गया

वित्तीय साक्षरता

4029. श्री अनन्त नायक:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनुसूचित जनजातियों की वित्तीय साक्षरता बहुत कम है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) जनजातीय समुदायों के वित्तीय शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) समाज के सबसे कमजोर वर्गों को गरीबी से मुक्त करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करने हेतु सरकारी योजनाओं और अधिकारों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकार का यह प्रयास रहा है कि अनुसूचित जनजातियों सहित समाज के सभी वर्गों की वित्तीय साक्षरता में वृद्धि हो। विभिन्न वित्तीय साक्षरता उपाय किए जा रहे हैं जिनमें, अन्य *बातों के साथ-साथ,* निम्नलिखित शामिल हैं:

i. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना की शुरुआत भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा वर्ष 2017 से वित्तीय साक्षरता के लिये समुदाय के नेतृत्व वाले नवाचार और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से की गई है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिसमें एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

ii. आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय वित्तीय शिक्षा केंद्र (एनसीएफई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं को समर्पित 54 वित्तीय शिक्षा (एफई) कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

iii. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे अपने एफएलसी के जरिए यूपीआई के माध्यम से "गोइंग डिजिटल" और *99# (यूएसएसडी) पर आम जनता के लिए शिविर आयोजित करें और विभिन्न लक्षित समूहों के लिए अनुकूलित शिविर लगाएं।

iv. बैंकों की ग्रामीण शाखाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी संदेशों को कवर करते हुए प्रतिमाह एक शिविर आयोजित करें जो वित्तीय जागरूकता संदेश (फेम) पुस्तिका का भाग है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बुनियादी बैंकिंग, डिजिटल वित्तीय साक्षरता, उपभोक्ता संरक्षण आदि सहित वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं पर संदेश शामिल हैं।

v. देश भर में आम जनता के बीच विभिन्न विषयों पर वित्तीय शिक्षा के संदेश का प्रचार करने के लिए वर्ष 2016 से हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह (एफएलडब्ल्यू) आयोजित किया जाता है।

vi. "आरबीआई कहता है" नामक आरबीआई का मल्टी-मीडिया, बहुभाषी जन जागरूकता अभियान वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने और सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं पर जनता को शिक्षित करने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करता है।

बैंक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ से वंचित वर्गों को ऋण सहायता प्रदान करते हैं, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

- **दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम):** यह योजना गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं की मजबूत संस्थाओं का निर्माण करके और वित्तीय सेवाओं और आजीविका तक पहुंच को सक्षम करके गरीबी में कमी को बढ़ावा देती है। यह महिला एसएचजी के लिए स्थायी आजीविका को लक्षित करता है और कमजोर समूहों (50% एससी/एसटी, 15% अल्पसंख्यक, और 3% विकलांग व्यक्ति) का कवरेज सुनिश्चित करता है जिसका लक्ष्य सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर पात्र परिवारों का 100% कवरेज है।
- **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) संबंधी दिशानिर्देश:** भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग प्रणाली से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को ऋण का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए एक ढांचा तैयार करने की दृष्टि से पीएसएल दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें उन विशिष्ट खंडों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिनकी ऋण पात्रता होने के बावजूद ऋण आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता है। पीएसएल दिशानिर्देश पीएसएल के अंतर्गत लक्ष्य और उप-लक्ष्य निर्धारित करते हैं। कमजोर वर्गों की श्रेणी के भाग के रूप में शामिल अनुसूचित जनजातियों के साथ कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए एक उप-लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
- **विभेदक ब्याज दर (डीआरआई) योजना:** डीआरआई योजना के अंतर्गत, बैंक समुदाय के कमजोर वर्गों को उत्पादक और लाभप्रद क्रियाकलापों में शामिल करने के लिए प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर 15,000/- रुपये तक का वित्तपोषण प्रदान करते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति द्वारा भी डीआरआई योजना के अंतर्गत पर्याप्त लाभ प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को सूचित किया गया है कि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पात्र उधारकर्ताओं को कुल डीआरआई अग्रिमों के कम से कम 2/5वें (40 प्रतिशत) तक ऐसे अग्रिम प्रदान करें।
- इसके अलावा, **स्टैंड-अप इंडिया योजना** का शुभारंभ 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था ,जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है, ताकि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की प्रति बैंक शाखा कम से कम एक एससी/एसटी उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच के बैंक ऋण की सुविधा मिल सके ताकि वे विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ में ग्रीनफील्ड उद्यम को स्थापित कर सकें। योजना के शुभारंभ से एसटी समुदायों से संबंधित उधारकर्ताओं को 3,613 करोड़ रुपये की राशि के साथ कुल 16,991 खातों को मंजूरी दी गई है।

******